न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 07/2021
पंजीयन दिनांक 12.03.2021

हीरालाल पिता केसरीमल जाति महाजन निवासी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट

बनाम

(1). गिरधारीलाल पिता नंदलाल जाति स्वर्णकार निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

(2). शंभू नाथ पिता नवलनाथ जाति बैरागी निवासी भदेसर तहसील भदेसर चित्तौड़गढ़।

(3). सरकार जरिए तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 158/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 25.02.2021

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय **दिनांक 20.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 89, 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भदेसर तहसील भदेसर की खाता सख्या 84 मे दर्ज आराजी संख्या 677 रकबा 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

0.09 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आराजी चाह स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात जो कभी कुआं होकर इस आराजीयात से आस-पास की कृषि आराजीयात सिंचित होती चली आ रही थी परन्तु काफी समय से इससे सिंचित होने वाली आराजीयात रूपान्तरित होकर आबादी मे दर्ज हो चुकी है व वर्तमान मे भी उक्त आराजी चाह खण्डहर नुमा होकर उक्त आ.चाह का कोई उपयोग उपभोग नहीं रहा है। ऐसी स्थिति मे मौजा भदेसर की आराजी संख्या 677 रकबा 0.09 हैक्टेयर गैर मुमकिन आराजी चाह विलोपित कर राजस्व रेकॉर्ड मे पड़त दर्ज किया जाकर उक्त आराजीयात का वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रेस्पोडेन्टगण का बंटवाड़ा किया जाकर वादी अपीलांट का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हक व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली प्रतिवादीगण सख्या 2 व 3 की तलबी व जवाबदावा हेतु नियत थी जिसे दिनांक 25.02.2021 को वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद अनुपस्थित होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाते है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत इन्द्राज दुरुस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 10.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई जाकर जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर चाहा जिस पर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.02.2021 नियत की गई, उक्त दिनांक को अधिवक्ता अपीलांट वादी की ओर से प्रतिनिधी उपस्थित हुए जिनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाकर वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को अनुपस्थित होना मानते हुए वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे निरस्त करने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति जरिए अधिवक्ता हो चुकी थी , ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट का जवाबदावा लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बगैर अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.02.2021 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली प्रतिवादीगण सख्या 2 व 3 की तलबी व जवाब हेतु नियत थी जिसमे प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर व उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2021 को ही अपरिपक्व वादपत्र को वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद अनुपस्थित होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 158/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 25.02.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की प्रोपर तामील करवाकर, जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 22.11.222 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)